

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 145, दिनांक 16-05-2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, लगभग 84 कि०ग्रा० गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 21 लाख) बरामद।

दिनांक: 15-05-2024 को एस०टी०एफ०, उ०प्र० को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 84 किलोग्राम गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 21 लाख) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

- 1- साहब राज यादव पुत्र रामजीत यादव नि० सिसवा, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
- 2- छोटेलाल गुप्ता पुत्र स्व० जमुना गुप्ता नि० हनुमान मन्दिर थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर।

बरामदगी :-

- 1- 84 कि०ग्रा० अवैध गाँजा। (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 21 लाख)
- 2- 01 अदद ट्रक (यूपी-53-डीटी-1183)
- 3- 330/-रु० नगद
- 4- 02 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान:-

दिनांक-15-05-2024 समय 19.30 बजे जयरामपुर, थाना क्षेत्र जंगीपुर, जनपद गाजीपुर।

विगत कुछ दिनों से एस०टी०एफ०, उ०प्र० को असम, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ० लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ उ०प्र० लखनऊ की एक टीम जनपद गाजीपुर में मौजूद थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग असम राज्य से अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) की बड़ी खेप लेकर ट्रक नं० यूपी 53 डीटी 1183 से आजमगढ़ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा जयरामपुर, थाना क्षेत्र जंगीपुर, जनपद गाजीपुर के पास उक्त ट्रक को रोककर तलाशी ली गयी, तो उसमें भारी मात्रा में गाँजा छिपाकर रखा गया था, जिस पर उसे कब्जे में लेते हुए दोनो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ (गाँजा) की तस्करी करता है। यह लोग असम के रंगिया से गाँजे की बड़ी खेप लाकर आजमगढ़, गाजीपुर व आस-पास के जनपदों में सप्लाई करते हैं। उत्तर प्रदेश से असम राज्य का सामान लोड करके असम जाते हैं वहाँ पर पेट्रोल पम्प पर अपनी गाड़ी खड़ा कर देते हैं।

असम के तस्कर उक्त ट्रक को लेकर जाते हैं और उसमें गॉजा लोड करके उसी पेट्रोल पम्प पर ट्रक खड़ी कर देते हैं। इस बार असम से बिहार राज्य के जनपद भोजपुर स्थित वियर फैक्ट्री की मकई लोड किये थे साथ ही ट्रक में ड्राइवर की केबिन की छत में गॉजा छिपाकर रखे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जंगीपुर, जनपद—गाजीपुर में मु0अ0सं0 54/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।